



कन्द्राय विद्युत वान्यामक आयाम

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, बर्लड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 316 / टीएल / 2024

दिनांक : 9.12.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

राजस्थान IV ए पावर इंसामिशन लिमिटेड, टी-15ए, तीसरी मंजिल, सेलकॉन रासविलास, साकेत, नई दिल्ली, 110017, भारत द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद 'परियोजना' के रूप में संदर्भित) पर "राजस्थान आरईज़ेड -पीएच-IV" (भाग-2:5.5 जीडब्ल्यू) (जैसलमेर/बाडमेर कॉम्प्लेक्स): भाग के इस विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ज) के अधीन आवदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	<p>2x240 एमवीएआर (765 केवी) बस रिएक्टर और 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टर सहित 4x1500 एमवीए, 765 / 400 केवी और 5x500 एमवीए, 400 / 220 केवी फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पूलिंग स्टेशन की स्थापना</p> <ul style="list-style-type: none"> • 765 / 400 केवीए 1500 एमवीए आईसीटी - 4 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित 13x500 एमवीए) • 765 केवी आईसीटी बे - 4 नं. • 240 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर - 2 नं. (एक स्पेयर यूनिट सहित 7x80 एमवीएआर) • 765 केवी बस रिएक्टर बे - 2 नं • 765 केवी लाइन बे - 4 नं. [फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पीएस पर फटेहगढ़-III - बियावर 765 केवी डी / सी लाइन के लीलो के लिए] • 400 / 220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी - 5 नं. • 400 केवी आईसीटी बे - 9 नं. • 400 केवी लाइन बे - 2 नं. [फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) - भिनमल (पीजी) डी / सी लाइन के लिए] • 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 2 नं • 400 केवी बस रिएक्टर बे - 2 नं. • 400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे : 1 सेट • 220 केवी आईसीटी बे - 5 नं. • 220 केवी लाइन बे : 6 नं. (आरझ स्योजकला के लिए) • 220 केवी बीसी (2 नं.) और 220 केवी टीबीसी (2 नं.) • 220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे : 1 सेट 	24 नाम्न (21.8.2026)
2.	<p>प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सीकेटी पर 50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पीएस - भिनमल (पीजी) 400 केवी डी / सी लाइन (दविन एचटीएलएस)।</p> <ul style="list-style-type: none"> • फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पीएस पर 50 एमवीएआर, 420 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. • भिनमल (पीजी) पर 50 एमवीएआर, 420 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. • फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पीएस पर 420 केवी, 50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. • भिनमल (पीजी) पर 420 केवी, 50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर स्विचिंग उपकरण - 2 नं. 	
3.	<p>765 केवी फटेहगढ़-IV - बियावर डी / सी लाइन के प्रत्येक सीकेटी के फटेहगढ़-IV सिरे पर 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पीएस पर 765 केवी फटेहगढ़-III बियावर डी / सी लाइन के दोनों सीकेटी के लीलो (लीलो के बाद निर्मित)</p> <ul style="list-style-type: none"> • फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पीएस पर 330 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर - 2 नं. • फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पीएस पर 330 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग उपकरण - 2 नं. • फटेहगढ़-IV (सेक्शन-2) पीएस सिरे पर 110 एमवीएआर (765 केवी) योग्य रिएक्टर सिंगल फेस गेनरेटर - 1 नं 	

4. भिन्मल (पीजी) पर 400 केवी लाइन बे का 2 नं.
 • 400 केवी लाइन बे - 2 नं.

*नामिक वॉल्टेज पर प्रत्येक सर्किट पर 2100 एमवीए की न्यूनतम क्षमता सहित
 नोट:

1. फतेहगढ़-IV (सेक्शन-1) पर फेज- 111 भाग ए1 के अधीन राजस्थान (20 जीडब्ल्यू)
 में आरईजेड से लगभग 2 जीडब्ल्यू आर ई पावर की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली
 कार्यान्वयन के अधीन है।
 2. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एच1 और एच2 पैकेजों का कार्यान्वयन सुयोजित किया
 जाएगा।
 3. फेज-IV (भाग-2) के अधीन पारेषण प्रणाली फतेहगढ़-IV (सेक्शन 2) पर संभावित
 4-5 जीडब्ल्यू आर ई की निकासी के लिए है, जो फेज- 111 योजना के अधीन
 अनुमोदित फतेहगढ़-IV पर भावी प्रावधान (दिनांक 25.03.22 की 8वीं एनसीटी की
 बैठक में अनुमोदित) के लिए प्रयुक्त की जा रही है।
 4. पावरग्रिड किसी लागत प्रभावों के बिना स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्थान
 सहित भिन्मल (पीजी) पर 400 केवी लाइन बे के 2 नं. के लिए स्थान प्रदान करेगा।
 5. स्विचेबल लाइन रिएक्टर एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ कार्यान्वित किया
 जाएगा।
 6. कार्यान्वयन टाइमफ्रेम : एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 24 मास*।
- * (पारेषण योजना के टाइमफ्रेम की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए समीक्षा की जाए।)
2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 5.9.2024 के अपने पत्र
 के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण
 अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
 3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 316 / टीएल / 2024
 में दिनांक 7.12.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण योजना की
 स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
 4. राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञाप्ति
 प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों
 सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.apraava.com पर देखा जा सकता है या
 निर्धारित कियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा
 इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
 5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया
 गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञाप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग
 के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 24.12.2024
 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या
 आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 6. आयोग द्वारा दिनांक 26.12.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी।
 कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने
 स्वयंवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया
 जाएगा।

हस्ता / -

(हरप्रीत सिंह पूर्थी)

सचिव